

31/1/25

पत्रा. पेश हुई। बकु. उप.। बहस सुनी गई। फाकली
 पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं तहसीलदार नदर
 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया
 तो पता चि वृषों एवं वृषुराम दोनों एक
 ही व्यक्ति हैं। तथा विरजी का भी शुद्ध नाम
 वृषुराम ही है। अतः प्रार्थी का प्रतीना-पत्र
 अन्वय 136 एल आर एल के तहत लीमा
 छिपा जाकर मौका रिपोर्ट के अनुसार वादी
 का नाम ग्राम झारकु एवं ग्राम अरौंदा
 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रती के गलत नाम
 वृषी पुत्र समन्दर के स्थान वृषुराम पुत्र
 समन्दर छिपा जाता है। तथा विरजी पुत्र
 समन्दर के स्थान पर वृषुराम पुत्र समन्दर
 छिपा जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में
 अंकन किया जावे।

फाकली पुलिस थाना होकल नदर से
 कम (1) जाकर दाखिल स्पष्ट है।

उपस्थित अधिकारी
 नदर (भरतपुर)